[1][Rule 97 : Consumer Welfare Fund

---

1 Rule 97 substituted by Noti. No. 21/2018–Central Tax, dt. 18-04-2018 w.e.f. 18-04-2018. Earlier to substitution it read as under:

"**Rule 97 : Consumer Welfare Fund**

(1) All credits to the Consumer Welfare Fund shall be made under sub-rule (5) of rule 92.

(2) Any amount, having been credited to the Fund, ordered or directed as payable to any claimant by orders of the proper officer, appellate authority or Appellate Tribunal or court, shall be paid from the Fund.

(3) Any utilisation of amount from the Consumer Welfare Fund under sub-section (1) of section 58 shall be made by debiting the Consumer Welfare Fund account and crediting the account to which the amount is transferred for utilisation.

(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee with a Chairman, a Vice-Chairman, a Member Secretary and such other Members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Consumer Welfare Fund for welfare of the consumers.

(5) The Committee shall meet as and when necessary, but not less than once in three months.

(6) Any agency or organisation engaged in consumer welfare activities for a period of three years registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force, including village or mandal or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or any industry as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) recommended by the Bureau of Indian Standards to be engaged for a period of five years in viable and useful research activity which has made, or is likely to make, significant contribution in formulation of standard mark of the products of mass consumption, the Central Government or the State Government may make an application for a grant from the Consumer Welfare Fund:

Provided that a consumer may make application for reimbursement of legal expenses incurred by him as a complainant in a consumer dispute, after its final adjudication.

(7) All applications for grant from the Consumer Welfare Fund shall be made by the applicant Member Secretary, but the Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

(8) The Committee shall have powers -

a. to require any applicant to produce before it, or before a duly authorised Officer of the Government such books, accounts, documents, instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;

(1) All amounts of duty/central tax/integrated tax/Union territory tax/cess and income from investment along with other monies specified in sub-section (2) of section 12C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), section 57 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and section 12 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017) shall be credited to the Fund:

Provided that an amount equivalent to fifty per cent. of the amount of integrated tax determined under sub-section (5) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deposited in the Fund.

---

b. to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the Central Government or, as the case may be, State Government;

c. to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;

d. to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;

e. to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;

f. to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;

g. to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;

h. to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;

i. to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Consumer Welfare Fund may be made and make recommendations, accordingly;

j. to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;

k. to make guidelines for the management, administration and audit of the Consumer Welfare Fund.

(9) The Central Consumer Protection Council and the Bureau of Indian Standards shall recommend to the Goods and Services Tax Council, the broad guidelines for considering the projects or proposals for the purpose of incurring expenditure from the Consumer Welfare Fund."

[2]**[Provided further** that an amount equivalent to fifty per cent. of the amount of cess determined under sub-section (5) of section 54 read with section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), shall be deposited in the Fund.**]**

(2) Where any amount, having been credited to the Fund, is ordered or directed to be paid to any claimant by the proper officer, appellate authority or court, the same shall be paid from the Fund.

(3) Accounts of the Fund maintained by the Central Government shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.

(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee (hereinafter referred to as the 'Committee') with a Chairman, a Vice-Chairman, a Member Secretary and such other members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Fund for welfare of the consumers.

(5) **(a)** The Committee shall meet as and when necessary, generally four times in a year;

(b) the Committee shall meet at such time and place as the Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman of the Committee may deem fit;

(c) the meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman, or in his absence, by the Vice-Chairman;

(d) the meeting of the Committee shall be called, after giving at least ten days' notice in writing to every member;

(e) the notice of the meeting of the Committee shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat;

(f) no proceeding of the Committee shall be valid, unless it is presided over by the Chairman or Vice-Chairman and attended by a minimum of three other members.

(6) The Committee shall have powers -

(a) to require any applicant to get registered with any authority as the Central Government may specify;

(b) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorised officer of the Central Government or the State Government, as the case may be, such books, accounts, documents, instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;

(c) to require any applicant to allow entry and inspection of any

---

2 Proviso inserted by Noti. No. 26/2018–Central Tax, dt. 13-06-2018 w.e.f. 13-06-2018.

premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the Central Government or the State Government, as the case may be;

(d) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;

(e) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum along with accrued interest, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;

(f) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;

(g) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;

(h) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;

(i) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of the nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;

(j) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Fund may be made, and make recommendations, accordingly;

(k) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;

(l) to make guidelines for the management, and administration of the Fund.

(7) The Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

[3]**[(7A)** The Committee shall make available to the Board 50 per cent. of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty-five crore rupees per annum.**]**

(8) The Committee shall make recommendations:-

(a) for making available grants to any applicant;

---

3 Sub-rule (7A) inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 01-07-2017.

(b) for investment of the money available in the Fund;

(c) for making available grants (on selective basis) for reimbursing legal expenses incurred by a complainant, or class of complainants in a consumer dispute, after its final adjudication;

(d) for making available grants for any other purpose recommended by the Central Consumer Protection Council (as may be considered appropriate by the Committee);

(e) [4]**[****]**

Explanation- For the purposes of this rule,

(a) 'Act' means the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), or the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) as the case may be;

(b) 'applicant' means,

- **(i)** the Central Government or State Government;
- **(ii)** regulatory authorities or autonomous bodies constituted under an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory;
- **(iii)** any agency or organization engaged in consumer welfare activities for a minimum period of three years, registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force;
- **(iv)** village or mandal or samiti or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- **(v)** an educational or research institution incorporated by an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and which has consumers studies as part of its curriculum for a minimum period of three years; and
- **(vi)** a complainant as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), who

---

4 Clause (e) omitted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to omission it read as under:

"(e) for making available up to 50% of the funds credited to the Fund each year, for publicity/consumer awareness on GST, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty five crore rupees per annum."

applies for reimbursement of legal expenses incurred by him in a case instituted by him in a consumer dispute redressal agency.

(c) 'application' means an application in the form as specified by the Standing Committee from time to time;

(d) 'Central Consumer Protection Council' means the Central Consumer Protection Council, established under sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), for promotion and protection of rights of consumers;

(e) 'Committee' means the Committee constituted under sub-rule (4);

(f) 'consumer' has the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), and includes consumer of goods on which central tax has been paid;

(g) 'duty' means the duty paid under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(h) 'Fund' means the Consumer Welfare Fund established by the Central Government under sub-section (1) of section 12C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 57 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);

(i) 'proper officer' means the officer having the power under the Act to make an order that the whole or any part of the central tax is refundable;**]**

[1][नियम 97 : उपभोक्ता कल्याण निधि

1 अधिसूचना क्रमांक 21/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.04.2018 द्वारा नियम 97 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.04.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**नियम 97 : उपभोक्ता कल्याण निधि**

(1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (4) के अधीन किए जाएंगे।

(2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या समुचित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी।

(3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा।

(4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के समुचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी।

(5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किन्तु तीस मास में एक बार से कम नहीं।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है, जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषतः महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीव्य और उपयोग क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी।"

परन्तु यह कि उपभोक्त किसी उपभोक्ता विवाद में शिकायतकर्ता के रूप में उसके द्वारा किये गये कानूनी खर्चो की प्रतिपूर्ति के लिये उसके अंतिम निर्णय के बाद आवेदन कर सकता है

(7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत ब्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे।

(8) समिति को शक्तियां होंगी–

(क) किसी आवेदक को अपने समक्ष, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के समुचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति, सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले सकेगी;

(घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में समिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिये अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अभियोजित कर सकेगी;

(ड.) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी;

(च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान को समुचित प्रयोग को दर्शित करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी;

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (2), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 57, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 और माल और सेवा (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशियों के साथ शुल्क/केन्द्रीय कर/एकीकृत कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/उपकर और विनिधान से आय की पूरी रकम को इस निधि में जमा किया जाएगा :

परन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित एकीकृत कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर रकम को निधि में जमा किया जाएगा।

[2]**[परन्तु** यह और कि माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित उपकर की रकम के पचास प्रतिशत् के समतुल्य रकम निधि में जमा की जाएगी।**]**

(2) जहां उचित अधिकारी, अपील प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा, निधि में जमा की गयी किसी रकम को, किसी दावाकर्ता को संदाय करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है, वहां उसका संदाय निधि से किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित निधि के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे।

(4) सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और उतने सदस्यों के साथ, जितने वह ठीक समझे, एक स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है) का गठन करेगी और समिति, निधि में जमा की गई धनराशि का उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी।

(छ) ताथ्यिक असंगत्तओं सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी;

(ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरूपयोग नहीं होगा न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी;

(झ) लाभकारी और सुरक्षित सैक्टरों जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है को पहचान कर तद्नुसार सिफारिश करेगी;

(ञ) किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल कर सकेगी;

(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंध, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी।

(9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरों, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश की सिफारिश कर सकेगी।

2 अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.06.2018)।

(5) (क) समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, साधारणतया किसी वर्ष में चार बार होगी;

(ख) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो समिति का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ठीक समझें;

(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, की जाएगी;

(घ) समिति की बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित में कम से कम दस दिन की सूचना देने के पश्चात् बुलाई जाएगी;

(ड.) समिति की बैठक की सूचना में, बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट होगा और उसमें किए जाने वाले कामकाज का विवरण अंतर्विष्ट होगा;

(च) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक उसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की जाए और उसमें कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हो।

(6) समिति को,–

(क) किसी आवेदक से, किसी ऐसे प्राधिकारी के पास, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत कराने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी;

(ख) किसी आवेदक से ऐसी पुस्तिकाएं, लेखे, दस्तावेज, लिखतें या आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण में की ऐसी वस्तुओं को, जो आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो, उसके समक्ष या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष पेश करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी;

(ग) किसी आवेदक से, किसी ऐसे परिसर में, जहां से उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु क्रियाकलापों के लिए जाने का दावा किया गया है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण अनुज्ञात करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी;

(घ) अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लेखाओं की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी;

(ड.) किसी आवेदक से, उसकी ओर से की गई किसी चूक या किसी सारवान जानकारी के छिपाए जाने की दशा में, समिति को मंजूर अनुदान का, उस पर प्राद्भूत ब्याज के साथ एक मुश्त प्रतिदाय करने हेतु अपेक्षा करने की और उसे अधिनियम के अधीन अभियोजित करने की शक्ति होगी;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल करने की शक्ति होगी;

(छ) किसी आवेदक या आवेदकों के किसी वर्ग से, अनुदान का उचित उपयोग उपदर्शित करते हुए, एक कालिक रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी;

(ज) सारवान विशिष्टियों में तात्विक असंगतता या गलती होने के कारण उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर करने की शक्ति होगी;

(झ) किसी आवेदक को उसकी वित्तीय स्थिति और किए जाने वाले क्रियाकलाप की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् की उपलब्ध वित्तीय सहायता का दुरूपयोग नहीं होगी, अनुदान द्वारा न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने की शक्ति होगी;

(ञ) ऐसे फायदाप्रद और सुरक्षित सेक्टरों की पहचान करने, जिनमें निधि में से विनिधान किए जा सकें और तद्नुसार उनकी सिफारिशें करने की शक्ति होगी;

(ट) किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगे रहने की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल करने की शक्ति होगी;

(ठ) निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने की शक्ति होगी।

(7) समिति किसी आावेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक सदस्य सचिव द्वारा, तदनुसार उसके सारवान् ब्यौरों की जांच न कर ली जाए और वह उस पर अपनी सिफारिश न दे दें।

[3]**[(7क)** समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50% बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पच्चीस करोड़ रूपये से कम नहीं है।**]**

(8) समिति निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगी :

(क) किसी आवेदक को अनुदान उपलबध करवाने के लिए;

(ख) निधि में उपलब्ध धनराशि के विनिधान के लिए;

(ग) किसी उपभोक्ता विवाद में किसी परिवादी या परिवादियों के किसी वर्ग द्वारा उपगत विधि व्ययों की उसके अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात्, प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान (चयनात्मकता के आधार पर) उपलबध करवाने के लिए;

(घ) ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिनकी केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए (जो समिति द्वारा समुचित समझा जाए);

(ड.) [4]**[......]**

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

---

3 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (7क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

4 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा खंड (ड.) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(ड.)** माल और सेवा कर के प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष निधि में जमा की पचास प्रतिशत् तक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए, परन्तु उपभोक्ता मामले विभाग के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता पच्चीस करोड़ रूपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी।"

(क) 'अधिनियम' से, यथास्थिति, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) 'आवेदक' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार;

(ii) संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम के अधीन गठित विनियामक प्राधिकरण या स्वशासी निकाय;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई अभिकरण या संगठन;

(iv) ग्राम या मंडल या समिति या उपभोक्ताओं, विशेषकर स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, की समिति स्तर की सहकारी सोसाइटी;

(v) संसद् या राज्य विधान मंडल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम द्वारा भारत में निगमित ऐसी कोई शैक्षित या अनुसंधान संस्था या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय रूप में घोषित् अन्य ऐसी शैक्षिक संस्थाएं, और जिनमें कम से कम तीन वर्ष से उपभोक्ता संबंधी अध्ययन उसके पाठ्यक्रम के रूप में चल रहा हो; और

(vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित् कोई शिकायतकर्ता, जिसने, उसके द्वारा किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण में संस्थित किसी मामले में उसके द्वारा उपगत विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है।

(ग) 'आवेदन' से आवेदन का ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है, जो स्थायी समिति द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए;

(घ) 'केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(ड.) 'समिति' से उपनियम (4) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) 'उपभोक्ता' का वही अर्थ होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) में खंड (घ) में उसका है और इसके अंतर्गत ऐसे माल के, जिस पर केन्द्रीय कर संदत्त किया गया है, उपभोक्ता भी है;

(छ) 'शुल्क' से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन संदत्त शुल्क अभिप्रेत है;

(ज) 'निधि' से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (1) और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 57 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(झ) 'उचित अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम के अधीन ऐसा आदेश करने की शक्ति है कि संपूर्ण केन्द्रीय कर या उसका कोई भाग प्रतिदेय होगा ;**]**